उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-193/2019/2788/92-2-2019-03एम/2018

लखनऊ :: दिनांक:: 09 दिसम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली में श्री ज्यूतराम, अवर अभियंता के कार्यमुक्त आदेश सं0-109 दिनांक 28-04-2017 को संबंधित पटल सहायकों द्वारा अभिलेखों में हेरफेर कर आदेश संख्या-04 दिनांक 15-04-2017 में परिवर्तित करते हुये पुन: कैम्प रजिस्टर के माध्यम से जारी करने हेतु दोषी पाये गये पटल सहायक/प्रधान सहायक को वर्ष 2017-18 के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी थी, परन्तु आदेश संख्या-04 दि0 15-05-2017, जो कि वास्तविक नही है, को कार्यालय आदेश संख्या-सी-13 दि0 05-05-2017 द्वारा निरस्तीकरण आदेश निर्गत कर लापरवाही पूर्ण कार्य करने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री सुरेश चन्द्र, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-चित्रकूट धाम बांदा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-193/2019/2788(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-324/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/ व्य0प0-श्री सुरेश च /19-20 दि0 19-06-2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री सुरेश चन्द्र के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर शासन को 03 दिन में उपलब्ध करायें।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-चन्दौली।

4- श्री सुरेश चन्द्र, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-चन्दौली स ति अधीक्षण अभियंता, परि0-चित्रकूट धाम बांदा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in